



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264204
CG-DL-E-27062025-264204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 25 2025/आषाढ 4, 1947

No. 173]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ASADHA 4, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2025

फा. सं. 28/15/2024-सीएमएम-भाग (1),—मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसरण में खान मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित मिशन को एतदद्वारा अधिसूचित करता है, अर्थात्:—

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन

1. विज्ञन

माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिनांक 23.07.2024 को केंद्रीय बजट भाषण 2024-25 में 'महत्वपूर्ण खनिज मिशन' की स्थापना की घोषणा की। भाषण का प्रासंगिक पाठ नीचे दिया गया है-

"हम घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना करेंगे। इसके अधिकार में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचा, और एक उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र शामिल होगा।"

तदनुसार, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों के लिए निम्नलिखित विज्ञन के साथ की जाएगी-

"जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 की यात्रा प्रारंभ करेगा, वैसे खनिज राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू करेंगे। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) में महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखलाओं, जिनमें खनिज गवेषण और खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण और जीवन-अंत उत्पादों से पुनर्प्राप्ति

तक के सभी चरण शामिल हैं, को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। एनसीएमएम का उद्देश्य नीतिगत सुधारों, वित्तीय सहायता, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकीय उन्नतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रूप में सामरिक हस्तक्षेपों के माध्यम से एक समग्र कार्य योजना विकसित करना है। सरकार का उद्देश्य भारत के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और लचीला महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।"

2. पृष्ठभूमि

2.1 महत्वपूर्ण खनिजों का सिंहावलोकन

- 2.1.1** खनिज संसाधन मानव सम्यता के विकास के लिए आवश्यक रहे हैं। सदियों से खनिजों का उपयोग व्यापार, उपकरण, अवसंरचना, कृषि, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में विविध अनुप्रयोगों के लिए किया जाता रहा है। खनिजों के ऐसे विविध उपयोग ने मानव जाति के इतिहास में आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकीय प्रगति और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया है।
- 2.1.2** महत्वपूर्ण खनिज समकालीन औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की नींव हैं, जो प्रौद्योगिकीय प्रगति को समर्थ बनाते हैं और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हैं। उन्हें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके विविध स्थिर औद्योगिक अनुप्रयोग हैं, लेकिन उनकी सीमित भौगोलिक उपस्थिति या स्रोतों की चुनौतियों के रूप में आपूर्ति-संबंधी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है।
- 2.1.3** वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में इसके राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित योगदान (एनडीसी) में उल्लिखित महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल हैं। वर्ष 2030 तक, भारत का लक्ष्य अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कम से कम 50% गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करना है जबकि साथ ही साथ कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना और कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना है। विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन की ओर परिवर्तन (ट्रांजीशन) से महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। जैसे-जैसे ऊर्जा परिवर्तन (ट्रांजीशन) में वृद्धि होगी, विद्युत वाहनों, पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं और बैटरी भंडारण प्रणालियों के विनिर्माण में सहायता के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में वृद्धि होगी।
- 2.1.4** पोटाश जैसे कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व को पहचानने की आवश्यकता है जो भारत में अन्न उत्पादन और प्रसंस्करण मूल्य शृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खाद्य सुरक्षा राज्य की कल्याणकारी कार्यसूची में सर्वोपरि है और इसलिए खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अन्न उत्पादन उद्योग से जुड़े चुनिंदा खनिजों के आयात पर निर्भरता है और इसलिए केंद्र सरकार घरेलू उत्पादन और ऐसे खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- 2.1.5** भारत के सामरिक और रक्षा क्षेत्र को भी रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता है। परमाणु और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए इन खनिजों का घरेलू उत्पादन और सोर्सिंग भी सर्वोपरि है। ऊर्जा, खाद्य, दूर-संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रयोज्यता घरेलू उद्योग के विकास और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लचीलेपन को एक तत्काल नीतिगत आवश्यकता बनाती है।
- 2.1.6** पूरे विश्व में महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भौगोलिक रूप से संकेंद्रित हैं, आज की तारीख में चिह्नित महत्वपूर्ण खनिजों¹ में से कम से कम 55% केवल 15 देशों में पाए जाते हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में लिथियम भंडार की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में विश्व के लगभग 50% कोबाल्ट भंडार हैं। इंडोनेशिया और फिलीपींस में प्रचुर मात्रा में निकल और कोबाल्ट भंडार हैं, जिसमें इंडोनेशिया निकल भंडार में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभर कर आया है। इसके अलावा, चीन लगभग 60% दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) और मोलि�ब्देनम का उत्पादन करता है जबकि समग्र वैश्विक दुर्लभ मृदा आपूर्ति का लगभग 85% प्रसंस्करण को कवर करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एंजेंसी के अनुसार, यद्यपि महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन कार्य भौगोलिक दृष्टि से अधिक विविध हो गए हैं, तथापि शोधन सुविधाओं के लिए बहुत कम बदलाव हुए हैं। चीन नियोजित लिथियम रासायनिक संयंत्रों के 50% को नियंत्रित करता है जबकि इंडोनेशिया नियोजित निकल शोधन सुविधाओं के 90% के साथ अपना प्रभुत्व रखता है। भारत ग्रेफाइट और सिलिकॉन जैसे खनिजों का प्रमुख उत्पादक है जिसमें आगे के विकास की क्षमता वाले चुनिंदा महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं। इसलिए भारत को मौजूदा वैश्विक प्राकृतिक संसाधन अक्षय निश्चि, मौजूदा वैश्विक खनन और प्रसंस्करण औद्योगिक आधार, विनियामक व्यवधान और संरक्षणवाद के कारण मूल चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ स्वदेशी महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला विकसित करने की आवश्यकता है।
- 2.2 महत्वपूर्ण खनिज संबंधी सुधार**
- 2.2.1** अंतर-मंत्रालयीन परामर्श और आर्थिक महत्व तथा आपूर्ति जोखिम को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से तैयार की गई

¹चिह्नित खनिजों में कोबाल्ट, तांबा, ग्रेफाइट, लिथियम, मैंगनीज, निकल और दुर्लभ मृदा तत्व शामिल हैं

कार्यप्रणाली के आधार पर खान मंत्रालय ने जून, 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची जारी की। इनके अनुप्रयोग और उपयोग स्वच्छ ऊर्जा घटकों के विनिर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, एयरोस्पेस, रक्षा, रसायन, उर्वरक आदि जैसे विभिन्न उद्योगों तक विस्तारित हैं। इन तीस तत्वों में से चौदह को उच्च आर्थिक महत्व के साथ-साथ उच्च आपूर्ति जोखिम दोनों के लिए चिह्नित किया गया है। सात को उच्च आपूर्ति जोखिम वाले तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और नौ तत्वों को उच्च आर्थिक महत्व वाले तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.2.2 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, खनिज रियायतों की नीलामी राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में चिह्नित कुछ खनिज एमएमडीआर अधिनियम के तहत परमाणु खनिजों की सूची में थे और इसलिए उनका गवेषण और खनन केवल सरकारी कंपनियों के लिए आरक्षित था। उनके गवेषण और खनन को प्राथमिकता देने के लिए, अगस्त 2023 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया गया था। संशोधन के माध्यम से, 6 खनिजों अर्थात् लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नाईओबियम, टैंटालम और जिरकोनियम को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया जिससे इन महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन में निजी संस्थाओं की भागीदारी संभव हो गई। एमएमडीआर अधिनियम में 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों (परिशिष्ट) की एक नई सूची जोड़ी गई जिसमें परमाणु खनिजों की सूची से हटाए गए 6 खनिज भी शामिल हैं। केंद्र सरकार को इन महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम में संशोधन ने एक नई खनिज रियायत अर्थात् गवेषण अनुज्ञासि (ईएल) प्रदान करने के प्रावधान भी किए। नीलामी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली गवेषण अनुज्ञासि से अनुज्ञासिधारक को अधिनियम में नई जोड़ी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट 29 महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति मिलेगी। इन 29 खनिजों में से 23 महत्वपूर्ण खनिज हैं। इस संशोधन से अपेक्षा की जाती है कि इससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और छोटी खनन कंपनियों को आकर्षित करने हेतु अनुकूल कानूनी वातावरण मिलेगा। सरकार ने गवेषण अनुज्ञासि (ईएल) व्यवस्था के तहत गवेषण एजेंसियों द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं से जुड़ी परियोजना लागत को साझा करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया है। यह प्रावधान उद्योग को महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और देश के घरेलू उत्पादन आधार को बढ़ाने में मदद करेगा।

2.2.3 भूमि में पाए जाने वाले खनिजों पर लागू होने वाले एमएमडीआर अधिनियम में किए गए सुधारों के अलावा, देश के अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के विकास और विनियमन के लिए कानून, अर्थात् अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (ओएएमडीआर अधिनियम) को भी अगस्त 2023 में संशोधित किया गया। देश के अपतटीय क्षेत्र जिसमें भारत के प्रादेशिक समुद्र, महाद्रीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं, में भारी प्लेसर खनिज (आरईई और टाइटेनियम युक्त), फॉस्फोराइट और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल और क्रस्ट (कोबाल्ट, निकल आदि युक्त) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आशाजनक संसाधन हैं। ओएएमडीआर अधिनियम में संशोधन ने अपतटीय खनिज ब्लॉकों के आवंटन की पद्धति के रूप में नीलामी की शुरूआत की। केंद्र सरकार देश में पहली बार अपतटीय खनिजों के गवेषण और खनन को सक्षम करके 2024 में ही अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करने के लिए सक्रिय है। अधिनियम के संशोधन में गवेषण, समुद्र के नीचे सर्वेक्षण, अनुसंधान, कार्मिकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन, ज्ञान और प्रौद्योगिकी विनिमय कार्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने और सहायता करने आदि के वित्त-पोषण हेतु अपतटीय क्षेत्र खनिज न्यास के गठन का भी प्रावधान किया गया।

2.3 महत्वपूर्ण खनिजों पर अंतरराष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण

2.3.1 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की नीतियां लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर सृजित करते हुए महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखलाओं में संप्रभु क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित हैं। वे स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने और उनका विस्तार करने के लिए निजी पूँजी और नवाचार का लाभ उठाने पर जोर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (आईआरए), यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण कद्वा माल अधिनियम और जापान का आर्थिक सुरक्षा अधिनियम इसके कुछ उदाहरण हैं। ये नीतियां कर क्रेडिट, सरकारी निवेश, टैरिफ और गैर-टैरिफ विनियमों के माध्यम से स्थानीय या क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हैं। पूर्ण विकसित बाजार उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी तत्परता, मानव संसाधन, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और साझेदारी के संदर्भ में अपने प्रतिस्पर्धी लाभ का उपयोग कर रहे हैं।

2.3.2 अफ्रीकी संघ जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमुख उत्पादकों का दृष्टिकोण कद्वे माल के उत्पादन से हटकर मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाना है। लैटिन अमेरिका में, चिली ने राष्ट्रीय लिथियम कार्यनीति विकसित की है जिसका फोकस निवेश आकर्षित करने और लिथियम मूल्य शृंखला विकसित करने पर है। अर्जेंटीना लिथियम से संबंधित अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने का इच्छुक है। ब्राजील में, नीति चिह्नित "सामरिक खनिजों" के उत्पादन के लिए परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है जबकि पेरू में, देश के तांबे के महत्वपूर्ण भंडार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कुल मिलाकर, उत्पादक देश मूल्य सूजन को बढ़ाना चाहते हैं और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकरण करना चाहते हैं जिससे कद्वे माल के निष्कर्षण से परे विविधता आए।

- 2.3.3** महत्वपूर्ण खनिजों के लिए प्रमुख बाजारों की राष्ट्रीय कार्यनीतियों का उद्देश्य मजबूत और सुरक्षित महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला सुरक्षित करना है। अमरीका व्यापार और निवेश तथा अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच को सुरक्षित करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2030 तक कच्चे और प्रसंस्कृत महत्वपूर्ण खनिजों का वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादक बनना चाहता है। ब्रिटेन का फोकस विश्व भर में आपूर्ति में विविधता लाने, जोखिमों को कम करने और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यूरोपीय संघ स्थानीय उत्पादन की अपनी ऊर्जा और गतिशीलता प्रणालियों के सुधार तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल क्लब के निर्माण के रूप में परिकल्पना करता है।
- 2.3.4** सम्पूर्ण विश्व के बहुपक्षीय मंचों पर "महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय, उत्तरदायी और सतत आपूर्ति श्रृंखलाओं" की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसी तरह, खनिज सुरक्षा भागीदारी (एमएसपी) और समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) जैसे क्षेत्रीय समूहों ने महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग के लिए रूपरेखाएं बनायी हैं। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना और चिली जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय भागीदारी भी बढ़ायी है।
- 2.3.5** संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन खनिजों पर पैनल के तहत, चार कार्यधाराएं अर्थात्, (i) लाभ-साझाकरण, स्थानीय मूल्य संवर्धन और आर्थिक विविधीकरण (ii) पारदर्शी, निष्पक्ष व्यापार और निवेश (iii) सतत, उत्तरदायी और न्यायसंगत मूल्य श्रृंखला और (iv) खनिज आपूर्ति में स्थायित्व, तय की गई हैं। अंतरराष्ट्रीय सरकारें, गैर-सरकारी संगठन और अन्य संबंधित हितधारक आम सहमति तक पहुँचने और महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं से संबंधित मुद्दों पर एक वैश्विक शासी (गवर्नेंस) पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।

2.4 भारत का तुलनात्मक लाभ

- 2.4.1** भारत में चुनिंदा महत्वपूर्ण खनिजों के पर्याप्त भंडार हैं और सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के आगे के गवेषण का उत्तरदायित्व सक्रिय रूप से लिया गया है। भारत में कम कार्बन प्रौद्योगिकियों की घरेलू मांग लगातार बढ़ रही है, जो एक बड़े महत्वपूर्ण खनिज बाजार की संभावना को दर्शाता है। आगामी आपूर्ति की संभावनाओं के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण घरेलू मांग आधार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत में खनन और विनिर्माण उद्योगों का एक मजबूत आधार है, जो इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम आदि जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है।
- 2.4.2** भारत में सरकारी और निजी अनुसंधान प्रयोगशालाओं का एक मजबूत नेटवर्क है। देश आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में सीटें बढ़ाकर भूवैज्ञानिक विज्ञान, खनिज गवेषण, खनन और प्रसंस्करण में एक मजबूत कौशल आधार भी बना रहा है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक संख्या में एसटीईएम स्नातक भी हैं। इसके अलावा, कौशल भारत मिशन खनन और खनिज प्रसंस्करण सहित ट्रेडों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को लागू कर रहा है, जिससे इस क्षेत्र में कार्यवल की उपलब्धता बढ़ेगी। इसी तरह, भारत में कई पॉलिटेक्निक संस्थान तकनीकी और कुशल मानव संसाधन प्रदान करने के लिए संसाधनों में से एक हैं। भारत में कुशल श्रम की आसान उपलब्धता वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला की प्रतिस्पर्धी लागत को बनाए रखने में भी मदद कर सकती है।

3. मिशन के उद्देश्य

मिशन में आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने और सभी के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने हेतु एक मजबूत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए व्यापक ढांचे की स्थापना की गई है। यह मिशन जून 2023 में भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 24 महत्वपूर्ण खनिजों (अनुबंध I) पर लागू होगा और इसमें वे सभी खनिज शामिल होंगे जिन्हें बाद में सूची में जोड़ा गया है या समय के साथ इसमें बदलाव किया गया है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित दो उद्देश्यों को प्राप्त करना है-

- घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना।
- खनिज गवेषण, खनन, सज्जीकरण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रिया में नवाचार, कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकीय, विनियामक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाकर मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना।

मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सरकार कार्यनीतिक रूप से सात प्रमुख उपायों के साथ-साथ कुछ समवर्ती पहलों को क्रियान्वित करेगी जिनमें से प्रत्येक मिशन के आवश्यक घटकों का गठन करने वाले कार्य बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करेगी, अर्थात्

- i) घरेलू महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन बढ़ाना
- ii) विदेश में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण
- iii) महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण
- iv) व्यापार और बाज़ार
- v) महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय उन्नति
- vi) मानव संसाधन विकास
- vii) प्रभावी निधियन, वित्त पोषण और वित्तीय प्रोत्साहन विकसित करना

इनमें से प्रत्येक उपाय में अपनी-अपनी ज़रूरतों के अनुरूप कई विशिष्ट हस्तक्षेप शामिल होंगे। इन हस्तक्षेपों को बड़े पैमाने पर सात व्यापक शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है;

- i) **संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण:** सरकार महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सहयोग, एकीकरण और कुशल कार्यक्रम प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाएंगी।
- ii) **नीति परिवर्तन:** सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण, निष्कर्षण, सज्जीकरण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को आगे बढ़ाने के लिए नीति परिवर्तन करेगी।
- iii) **वित्त पोषण:** सरकार भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के विकास में सहायता करने तथा बाजार और सामरिक मांग को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से परिसंपत्तियां हासिल करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- iv) **अवसंरचना विकास:** सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के लिए यंत्रों/प्रौद्योगिक संयंत्र की प्राप्ति एवं स्थापना करने तथा अनुसंधान, नागरिक और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना निर्माण में सहायता करेगी।
- v) **मानव संसाधन विकास:** सरकार क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव संसाधन विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला में क्षमता निर्माण का कार्य करेगी।
- vi) **प्रौद्योगिकी:** सरकार देश में अनुसंधान और विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगी जो मूल्य शृंखला में प्रौद्योगिकी सृजन, सहयोग और अंतरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- vii) **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** सरकार भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय और सहयोग स्थापित करेगी।

4. मिशन के घटक

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में कई प्रमुख घटक शामिल हैं जिन्हें भारत में एक सतत, लचीली और आत्मनिर्भर महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इन घटकों को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के व्यापक विज्ञन के साथ लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। मिशन के घटकों को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा जिससे तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आधार तैयार किया जा सके।

4.1 घरेलू महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन बढ़ाना

- 4.1.1 गवेषण और खनन कार्यकलापों का विस्तार:** सरकारी एजेंसियां वित्त वर्ष 2024-2025 से वित्त वर्ष 2030-2031 के बीच 1200 गवेषण परियोजनाएं शुरू करेंगी। इसके अलावा, खनन कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2030-2031 तक 100 से अधिक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के ब्लॉकों की नीलामी की जाएंगी। सरकार महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की खोज में सार्वजनिक क्षेत्र और अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) से होने वाले व्यय में भी वृद्धि करेंगी। इसके लिए, मौजूदा बजट को बढ़ाकर एनएमईटी के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण के लिए 3,000 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2030-2031 तक) आवंटित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपने नियमित बजट से देश में महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण के लिए 4,000 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2030-2031 तक) व्यय करने का लक्ष्य रखेगा।

- 4.1.2 अपतटीय क्षेत्रों में खनन:** ओएमडीआर अधिनियम को हाल ही में ओएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है जो 17.08.2023 से प्रभावी है, जिससे अपतटीय क्षेत्रों में प्रकारण अधिकारों के आवंटन की विधि के रूप में नीलामी शुरू करके प्रमुख सुधार आया है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल और क्रस्ट के अपतटीय ब्लॉकों में कोबाल्ट, आरईई, निकल, मैंगनीज आदि जैसे खनिज पाए जाते हैं, जिनकी खोज की गई है और हाल ही में उन्हें नीलामी के लिए रखा गया है। अपतटीय क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण खनिज युक्त ब्लॉकों की खोज करने और खनिज उत्पादन शुरू करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे।

- 4.1.3 महत्वपूर्ण खनिज विनियामक सहायता कार्यक्रम:** महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण से खनन कार्यों में हुए परिवर्तन को तेज करने के लिए, विनियामक आवश्यकताओं और अनुमतियों के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण आवश्यक है। सरकार इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को देखते हुए घरेलू महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट-ट्रैक विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया बनाने का प्रयास करेगी।
- 4.1.4 निजी गवेषण हेतु रियायत:** सरकार ने गवेषण कार्यकलापों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गवेषण अनुबंधि (ईएल) नामक एक नई रियायत शुरू की है। गवेषण व्ययों के आंशिक वित्तपोषण के लिए पहले से अधिसूचित योजना के माध्यम से सरकार गवेषण अनुबंधि धारकों के जोखिम को साझा करेगी। इसी तरह, संयुक्त अनुबंधि (सीएल) धारकों के गवेषण व्यय के आंशिक वित्तपोषण के लिए एक योजना अधिसूचित की गई है।
- 4.1.5 अधिभार, अवशेष, फ्लाई ऐश, लाल मिट्टी आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति:** हाइड्रोमेटालर्जी, विलायक निष्कर्षण और वायो-हाइड्रोमेटालर्जी या वायोलीचिंग प्रसंस्करण आदि जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खान अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना जो कम लागत और संभावित द्वितीयक स्रोत हो सकते हैं। अधिभार, अवशेष, फ्लाई ऐश, लाल मिट्टी, मौजूदा खानों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से खनिज प्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक व्यवस्था को शिथिल किया जाएगा। इसके अलावा, चूंकि कई सामरिक खनिज प्रमुख खनिजों से जुड़े हैं, इसलिए सरकार प्रमुख खनिजों से जुड़े महत्वपूर्ण खनिजों के लिए कम राजस्व हिस्सेदारी तय करेगी। पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करके नए तरीकों के माध्यम से खनिज पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए मिशन अवधि के दौरान **100 करोड़ रुपये** आवंटित करेगी।
- 4.1.6 गवेषण के दौरान ट्रेस तत्वों/महत्वपूर्ण खनिजों का आकलन:** यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सरकारी और निजी दोनों प्रकार की गवेषण और खनन कंपनियां गवेषण करते समय, उन सभी संभावित गौण या संबद्ध खनिजों की पहचान और आकलन के लिए आवश्यक जाँच करें जो खोजे जा रहे प्रमुख खनिजों के साथ आनुबंधित रूप से मौजूद हो सकते हैं। सरकार ट्रेस तत्वों/महत्वपूर्ण खनिजों के इष्टतम मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपॉर्टिंग (एनजीडीआर) पोर्टल के साथ डेटा को एकीकृत करने के लिए मंत्रालयों के बीच सहयोग को संभव करेगी। मुख्य रूप से खनन किए जा रहे प्रमुख/गौण खनिजों के साथ मौजूद महत्वपूर्ण खनिजों के संभावित जुड़ाव के आकलन के लिए पहले से ही खोजे गए गवेषण डेटा, संरक्षित मुख्य शिला और शिला नमूनों आदि की फिर से जाँच करने का भी प्रयास किया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिज मिशन (सीएमएम) जीएसआई और आईबीएम जैसी एजेंसियों के साथ मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए एसओपी/दिशानिर्देश तैयार करता है।
- 4.1.7 मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करके खनिज प्रसंस्करण पार्कों का निर्माण:** घरेलू महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमताओं का निर्माण करने के लिए सरकार खनिज प्रसंस्करण उद्योगों को आश्रय देने के लिए खनिज प्रसंस्करण पार्क बनाएगी। वित्त मंत्रालय के परामर्श से खान मंत्रालय द्वारा एक योजना तैयार की जाएगी। यदि उपलब्ध हो तो मौजूदा औद्योगिक पार्कों का उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऐसे पार्कों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2030-2031 तक **500 करोड़ रुपये** आवंटित करना है। सरकार महत्वपूर्ण खनिजों, खनिज अभिकर्मकों, इलेक्ट्रोलाइट्स, उत्प्रेरक, व्हीचिंग एजेंट आदि के सज्जीकरण और प्रसंस्करण हेतु अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेगी।
- 4.1.8 राज्य सरकारों की भूमिका:** राज्यों को महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन परियोजनाओं के लिए विभिन्न वैधानिक मंजूरी शीघ्र प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकारों मिशन और अवसंरचनात्मक सहायता के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य शृंखला में गवेषण, खनन, प्रसंस्करण और अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा देंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण रूप से सक्रिय रूप से भाग लेने या अन्य केंद्रीय पीएसयू को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 4.2 विदेश में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण**
- 4.2.1 महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का मानचित्रण और अधिग्रहण:** यह मिशन भारत को खनिजों की आपूर्ति के उद्देश्य से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), पीएसयू या अन्य भारतीय संस्थाओं के माध्यम से संसाधन संपत्ति देशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के मानचित्रण और विस्तृत गवेषण के लिए सहायता प्रदान करेगा। भारतीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय गवेषण और अधिग्रहण परियोजनाओं में भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एनएमईटी से भारत के बाहर महत्वपूर्ण खनिज गवेषण कार्यकलापों में सहायता करने के लिए वित्त वर्ष 2030-2031 तक **1600 करोड़ रुपये** व्यय करने की अपेक्षा की जाती है।
- 4.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कंपनियों द्वारा विदेशी महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण:** भारत सरकार विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु निधियां आवंटित करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को प्रेरित करेगी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी। अधिकार प्राप्ति समिति विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और हितधारकों को दिशानिर्देश देगी और अंतर-मंत्रालयीन सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार आवश्यक दिशानिर्देश जारी करके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों (पीएसयू) और उनके संयुक्त उपक्रमों (जेवी), सहायक कंपनियों को विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए सशक्त बनाएगी। पीएसयू विदेशों में निवेश करने में वाणिज्यिक निर्णय लेंगे। यह अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य कंपनियां विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों में प्रति वर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी जिससे वित्त वर्ष 30-31 तक समग्र रूप से लगभग 18,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

- 4.2.3 निजी क्षेत्र के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नेतृत्व में परिसंपत्ति अधिग्रहण की सुविधा:** भारत सरकार निजी कंपनियों के साथ पूँजीगत अंशदान और राजस्व साझा करने के लिए केंद्रीय पीएसयू को प्रमुख परिसंपत्ति अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करेगी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा इंडिटी भागीदारी जोखिम को साझा करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है जिससे सहयोगी वातावरण को बढ़ावा मिलेगा जबकि निकासी (ऑफटेक) समझौते भारतीय विनियोग को आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह पहले केंद्रीय पीएसयू और निजी उद्योगों को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिससे घरेलू प्रसंस्करण और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, छोटे-छोटे डाउनस्ट्रीम उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों और कंपनियों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 4.2.4 लक्षित वित्तीय सहायता के माध्यम से भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना:** भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बढ़ाने, विदेशों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार खनन और निकासी अवसंरचना की स्थापना के लिए लक्षित सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी से खान विकास और संसाधन पुनः प्राप्ति के लिए गए निवेश में जोखिम कम हो सकता है। सरकार वित्त वर्ष 2030-2031 तक ऐसी परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपये एनएमईटी में से आवंटित करेगी। इस संबंध में, मिशन विस्तृत योजना तैयार करेगा। कंपनियां योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं।
- 4.2.5 अवसंरचनात्मक सहायता:** खान मंत्रालय खनिज निकासी अवसंरचना के विकास में सहायता के लिए संसाधन संपन्न देश के विनियामकों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा।
- 4.3 महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण**
- 4.3.1 महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए दिशा-निर्देश/एसओपी:** देश में अनौपचारिक खनिज पुनर्चक्रण क्षेत्र को कारगर बनाने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश/एसओपी तैयार करना है। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते समय भारत में प्लास्टिक और ई-कचरा प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) मानदंडों से सर्वोत्तम पद्धतियों पर विचार किया जाएगा। एनसीएमएम विश्वेषणात्मक अध्ययनों और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और अनुकूलित करने के लिए नवीन समाधानों के विकास के माध्यम से ईपीआर विनियमों का समर्थन करेगा।
- 4.3.2 महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना:** वित्त मंत्रालय के परामर्श से खान मंत्रालय द्वारा खनिज पुनर्चक्रण समूह स्थापित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना तैयार की जाएगी। यह योजना मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए पुनर्चक्रित खनिजों के उत्पादन के लक्ष्यों की पहचान करेगी और तदनुसार इच्छुक उद्योगों को प्रोत्साहन देगी। इस योजना के लिए प्रोत्साहन की राशि 1500 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
प्रस्तावित योजना में लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, पीजीई, आरईई, एंटीमनी, कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम और जिरकोनियम शामिल होंगे।
- 4.3.3 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पुनर्चक्रण सलाहकार समूह का गठन:** घरेलू और आयातित उत्पादों में विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों की उपस्थिति का आकलन करने तथा इन उत्पादों से महत्वपूर्ण खनिजों की इष्टतम प्राप्ति के लिए आवश्यक उपाय सुझाने के लिए एक पुनर्चक्रण सलाहकार समूह का गठन किया जाना है।
- 4.4 व्यापार और बाजार**
- 4.4.1 संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा:** दीर्घकालिक सुरक्षा और सततता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं में व्यापार और निवेश में संसाधन संपन्न देशों को शामिल करने की आवश्यकता है। सरकार संसाधन संपन्न देशों के साथ महत्वपूर्ण खनिज भागीदारी समझौते (सीएमपीए) करने का लक्ष्य रखेगी। सरकार रुचि रखने वाले देशों के साथ मौजूदा द्विपक्षीय/मुक्त व्यापार समझौतों में महत्वपूर्ण खनिजों के अध्यायों को शामिल करने के लिए भी काम करेगी।
- 4.4.2 द्विपक्षीय एफटीए के माध्यम से टैरिफ में सामंजस्य करना:** द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ संरचनाओं में सामंजस्य कर सकते हैं। सरकार 2027 में विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के संभावित एचएस कोड संशोधन के अनुरूप महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र से संबंधित सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएस) कोड को संशोधित करने के संबंध में हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगी।

- 4.4.3. महत्वपूर्ण खनिजों पर से कई आयात शुल्क समाप्त करना:** सरकार ने सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है ताकि देश में इन आवश्यक संसाधनों का प्रवाह आसान हो सके। आयात शुल्क समाप्त करने से कई लाभ होंगे। सर्वप्रथम, यह महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भर घरेलू उद्योगों पर वित्तीय बोझ को कम करेगा, जिससे वे वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। दूसरा, यह इन खनिजों के प्रसंस्करण और उपयोग में शामिल कंपनियों के लिए अधिक अनुकूल व्यावसायिक माहात्मा बनाकर विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। परिणामस्वरूप, यह महत्वपूर्ण खनिजों की आसानी से उपलब्धता और किफायत सुनिश्चित करके छोटे-छोटे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करेगा। सरकार देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सामरिक आवश्यकता के आधार पर उन पर आयात शुल्क की समय-समय पर समीक्षा भी करेगी।
- 4.4.4 पुनर्चक्रणीय सामग्रियों पर आयात शुल्क और अन्य बाधाओं को हटाना:** पुनर्चक्रण उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने और घरेलू क्षेत्र के लिए प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में संलग्न होने के लिए अधिक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, स्कैप, ब्लैक मास और ई-कचरे जैसी पुनर्चक्रणीय सामग्रियों पर आयात शुल्क और अन्य बाधाओं का पुनरावलोकन किया जाएगा। यह प्रयास पुनर्चक्रण के लिए कञ्च माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने, व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और घरेलू मूल्य संवर्धन में योगदान करने में मदद करेगा। यदि अवांछित ई-कचरे के प्रवाह के संबंध में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो सरकार इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। एक मजबूत रीसाइकिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान रहेगा जो न केवल अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है बल्कि पर्यावरण मानकों का भी पालन करता है।
- 4.4.5 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज संचय/भंडार विकसित करना:** उद्योग हितधारकों और सरकारी एजेंसियों के साथ वातचीत के माध्यम से आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करना और भंडार के समय पर सक्रिय होने के लिए तंत्र स्थापित करना ताकि आपातकालीन परिस्थिति में प्रयासों का समन्वय किया जा सके और भंडार का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। आपूर्ति में व्यवधान से बचने और घरेलू उपयोग हेतु खनिज आपूर्ति में सहायता के लिए महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों का भंडार बनाने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार कार्यक्रम विकसित करने हेतु केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के बीच एक संयुक्त पहल को संस्थागत रूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज संचय/भंडार विकसित करने के लिए, सरकार इस उद्देश्य के लिए मिशन अवधि के दौरान 500 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए जाएंगे।
- 4.5 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय उन्नति**
- 4.5.1 महत्वपूर्ण खनिजों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना:** घरेलू अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और मौजूदा वाणिज्यिक समाधानों का लाभ उठाकर अत्याधुनिक निष्कर्षण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों के नियोजन का समर्थन करना। सरकार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और अन्य जैसे संस्थानों/संगठनों के बीच समन्वय में सुधार के माध्यम से नवप्रवर्तकों, स्टार्ट-अप्स और सक्षमकर्ताओं के लिए पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रियाओं का समर्थन करना चाहती है। इन एकीकृत प्रयासों का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में उभरती नवीन और प्रौद्योगिकीय चुनौतियों से निपटना है। सरकार देश में घरेलू अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2030-2031 तक 500 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अंतराल को पाठने के प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए समय-समय पर उद्योग-विशिष्ट आवश्यकता विश्लेषण आयोजित किए जाएंगे। अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) तथा अन्य सरकारी योजनाओं से की जाएंगी, जो उनके दिशानिर्देशों के अंतर्गत पात्र होंगी।
- 4.5.2 महत्वपूर्ण खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना:** मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र के गठन का भी सुझाव दिया है। केंद्र महत्वपूर्ण खनिजों पर काम करने वाले संस्थानों/संगठनों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ हवा और स्पोक मॉडल पर काम करेगा। उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्य पर काम करेगा और राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को समन्वित करने का लक्ष्य रखेगा। प्रस्तावित शोध कार्य के लिए इन संगठनों के मौजूदा बुनियादी ढांचे सहित जनशक्ति का उपयोग किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो परियोजना से संबंधित जनशक्ति को इन उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाएगा।
- 4.5.3 सहायक तंत्र और विनियामक सरलीकरण:** सरकार स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विनियमों को सरल बनाएंगी और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं और शिक्षाविदों के साथ सहयोग बढ़ाएंगी। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, आयात शुल्क और कुशल कार्यबल आवश्यकताओं के लिए लीड टाइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहायक तंत्र विकसित किए जाएंगे।
- 4.5.4 अनुसंधान एवं विकास पर वैश्विक सहयोग:** भारत कई देशों और कंपनियों द्वारा किये गए प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास - विशेष रूप से खनिज प्रसंस्करण पर उनके साथ काम करके मौजूदा प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ उठाएंगा। सरकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्य शृंखला में वैश्विक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने

दिशानिर्देशों के तहत पात्र एएनआरएफ और अन्य अनुसंधान एवं विकास योजनाओं से 500 करोड़ रुपये निर्धारित करेगी। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास अंतराल को पाटने के प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए समय-समय पर उद्योग-विशिष्ट आवश्यकता विश्वेषण आयोजित किए जाएंगे।

4.6 मानव संसाधन विकास

- 4.6.1** महत्वपूर्ण खनिजों में विशेषज्ञता और कौशल कार्यबल को बढ़ावा देना: मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाने और गवेषण, खनन, प्रसंस्करण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्य शृंखला में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम कृशल कार्यबल विकसित करने के लिए, सरकार वित्त वर्ष 2030-2031 तक 100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगी। आईआईटी, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, निजी क्षेत्र आदि जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को विश्वविद्यालयों में पीएचडी और परामात्क कार्यक्रमों का समर्थन करके कार्यबल विकास के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण की सुविधा हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्रालय और एमएसडीई के परामर्श से कौशल विकास केंद्रों को सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखलाओं में पहले से ही लगे व्यक्तियों के लिए निरंतर कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

4.6.2 लक्षित डिग्री कार्यक्रम, छात्रवृत्ति और इंटर्नशिप विकसित करना: विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों के सहयोग से, भारत सरकार 2026 तक विशेष मॉड्यूल विकसित और शुरू करेगी। ये मॉड्यूल विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के सतत उपभोग और उत्पादन पर केंद्रित होंगे, जिन्हें मौजूदा खनन, धातु विज्ञान और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों के डिग्री कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

4.6.3 संसाधन संपन्न देशों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम: सरकार जीएसआई, एमईसीएल, आईबीएम, भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से संसाधन संपन्न देशों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम करेगी। ये कार्यक्रम इन देशों की क्षमताओं को बढ़ाएंगे और साथ ही भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सतत आपूर्ति करेंगे, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा और मजबूत सहयोग और आपसी विकास के माध्यम से दोनों पक्षों को लाभ होगा।

4.7 समवर्ती पहले

4.7.1 निरंतर जोखिम और मांग मूल्यांकन के माध्यम से महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सूची को अद्यतन करना:

सरकार सीएमएम के माध्यम से समय-समय पर आपूर्ति जोखिम और आर्थिक महत्व के आधार पर महत्वपूर्ण मूल्यांकन ढांचे को परिष्कृत करेगी और तदनुसार भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को अद्यतित करेगी। विकासशील प्रौद्योगिकी परिदृश्य के कारण महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दीर्घकालिक जोखिमों (जैसे मूल्य और मांग में उतार-चढ़ाव) की पहचान को प्राथमिकता दी जाएगी। खान मंत्रालय, नीति आयोग जैसी संस्थाओं के साथ संभावित सहयोग से इन जोखिमों का आकलन करेगा और समय से मंजूरी देगा। मिशन में औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं के साथ समय-समय पर मांग का आकलन भी शामिल होगा।

4.7.2 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए ट्रेसेबिलिटी प्रणाली का विकास: सरकार भारत महत्वपूर्ण खनिजों की ट्रैकिंग और निगरानी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज ट्रेसेबिलिटी प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखेगी। यह पहल उत्पादों में महत्वपूर्ण खनिजों की संरचना और संवंधित जानकारी के बारे में पारदर्शी सूचना प्रदान करेगी। इस पहल का व्यापक उद्देश्य उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण खनिज-गहन उत्पादों के उपयोग पर सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना होगा।

4.7.3 आउटरीच और जन-जागरूकता: सरकार इस क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के लिए एक मंच के रूप में एक महत्वपूर्ण खनिज मंच की स्थापना और आउटरीच कार्यक्रम करेगी। सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों, सीएसओ और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए, मंच सामरिक चर्चाओं, अंतरराष्ट्रीय खरीद पहलों और निवेश आकर्षणों की सुविधा प्रदान करेगा। नियमित सत्र, नेटवर्किंग कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और ज्ञान-साक्षात्कारण पहले व्यापार विस्तार, वित्तीय निवेश और प्रौद्योगिकीय प्रगति को बढ़ावा देंगी। यह मंच महत्वपूर्ण खनिजों में वैश्विक रुझानों की निगरानी भी करेगा ताकि हितधारकों को सूचित रहने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिले।

4.8 प्रभावी निश्चयन, वित्तपोषण और राजकोषीय प्रोत्साहन विकसित करना

यह योजना भारत में सामर्थ्यार्थी समिति पर्याय धनंजय के लिए विभिन्न उपक्रमों की समर्पण की है, जिसके लिए

4.8 प्रभावी निधियन, वित्तपोषण और राजकोषीय प्रोत्साहन विकसित करना

इस मिशन ने भारत में महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए विभिन्न तरीकों की पहचान की है, जिसके लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। इनमें गवेषण, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण परियोजनाएं, साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधन विकास में निवेश शामिल हैं। खान मंत्रालय जीएसआई, एनएमईटी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के माध्यम से मिशन के कार्यकलापों के लिए पहले से ही कार्रवाई कर रहा है। मिशन के तहत परिकल्पित कार्यकलापों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता का एक बड़ा भाग राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) निधियों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। मिशन के प्रस्तावित कार्यकलापों को निधि देने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को सक्षम करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम में संगत संशोधन किया जाएगा। आवश्यक निधि का एक भाग अर्थात् 2600 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में संगे जाएंगे।

इसके अलावा, मिशन अपने कार्यकलापों के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोगी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेगा।

आगामी वर्षों में एनसीएमएम के कार्यकलापों में तेजी आने के साथ ही, सार्वजनिक, निजी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं सहित विभिन्न माध्यमों से अतिरिक्त निधियां जुटाई जाएंगी, जिससे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र के लिए निरंतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।

- 4.8.1 उचित राजकोषीय उपाय विकसित करना:** भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए यह मिशन छोटी गवेषण और खनन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए कई राजकोषीय उपायों को विकसित और कार्यान्वित करेगा। इन उपायों में महत्वपूर्ण खनिजों का गवेषण और विकास में निवेश के लिए टैक्स क्रेडिट की शुरूआत शामिल होगी, जिसका उद्देश्य कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम करना और निवेश को अधिक आकर्षक और व्यवहार्य बनाना है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण खनिज गवेषण और खनन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य निवेशकों के लिए जोखिम को कम करना तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियों के पास आवश्यक पूँजी उपलब्ध हो। निवेश आकर्षित करने के लिए स्टॉक और शेरर के निर्गमन को बढ़ावा देकर, पूँजी जुटाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग की परिकल्पना की गई है, जो महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस मिशन का उद्देश्य इन राजकोषीय उपायों को व्यापक वित्तीय पहलों के साथ एकीकृत करके एक मजबूत वित्तीय वातावरण बनाना है जो भारत में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र के विकास का समर्थन करता है। इसके अलावा, मिशन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामला विभाग की फा. सं. 13/1/2017-आईएनएफ. के अनुसार बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची (एचएमएल) में महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को शामिल करने का प्रयास करेगा।
- 4.8.2 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से निधियां जुटाना:** सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के विकास के लिए निधि जुटाने के लिए कदम उठाएगी। सरकार विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि जैसे संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में भागीदारी को सक्षम बनाएगी, जिसमें लचीली और समावेशी आपूर्ति-श्रृंखला संवर्द्धन (आरआईएसई) पहल और विकास के लिए उन्नत सतत स्वच्छ ऊर्जा नेटवर्क (एएससीईएनडी) जैसी पहलें शामिल हैं। क्षेत्र के विकास के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से क्रहण प्राप्त करने पर भी जोर दिया जाएगा।
- 4.8.3 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए वित्तीय परिव्यय:** मिशन में (i) महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू और विदेशी सोर्सिंग सुनिश्चित करने और (ii) महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए बजटीय प्रावधान शामिल हैं, जिसमें मिशन के हिस्से के रूप में किए जाने वाले सभी कार्यकलापों के लिए बजटीय आवंटन शामिल है। मिशन पर प्रशासनिक व्यय मंत्रालय के बजट द्वारा वहन किया जाएगा। मिशन के कार्यकलापों की राशियां तालिका-1 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1: मिशन के लिए प्रस्तावित व्यय

मिशन के उद्देश्य	वित्त शीर्ष	आवंटन का स्रोत	कुल आवंटन (करोड़ रुपये) (वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31)
घरेलू और विदेशी सोर्सिंग को सुरक्षित करना	घरेलू महत्वपूर्ण खनिज गवेषण	एनएमईटी	3000
		जीएसआई	4000
	विदेशी सोर्सिंग के लिए जोखिम कवरेज	एनएमईटी	4000
	भारत के बाहर गवेषण कार्यकलापों के लिए समर्थन	एनएमईटी+पीएसयू+ निजी कंपनियां	1600
	पुनर्चक्रण	खनिज पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना	बजट
मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना	खनिज पुनर्चक्रण के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं	एनएमईटी	100
	अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास	एएनआरएफ एवं अन्य अनुसंधान एवं विकास योजनाएं	500
	अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहायता	एएनआरएफ एवं अन्य अनुसंधान एवं विकास योजनाएं	500

	कौशल विकास केंद्र	बजट	100
	महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पार्क	बजट	500
	महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारण	बजट	500
कुल योग			16300

④ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा संभावित निवेश	18000
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम- खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएमडीसी), एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, नेवेली लिग्राइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया (सेल), इंडिगन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरआईएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल)। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी महत्वपूर्ण खनिजों में विदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	

4.8.4 मौजूदा योजनाओं के साथ तालमेल बिठाना: मिशन कार्यकलापों के लिए प्रस्तावित वित्तपोषण तंत्र “सरकार और उद्योगों के समग्र दृष्टिकोण” पर आधारित है। कुछ कार्यकलापों को सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और कई कार्यकलापों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और व्यावसायिक निधियों के रूप में किया जाता है। सरकारी कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए विशिष्ट योजनाएं और दिशा-निर्देश तैयार करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यकलापों के समान कोई भी मौजूदा योजना मिशन कार्यकलापों में शामिल हो।

5. मिशन आउटपुट और परिणाम

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में उपर्युक्त खंड में उल्लिखित प्रमुख बजट शीर्षों के लिए वार्षिक आउटपुट के लक्ष्य होंगे। आउटपुट और संभावित परिणामों का विवरण नीचे दिया गया है। आउटपुट को वार्षिक आधार पर ट्रैक किया जा सकता है और इससे हमें मिशन में बताए गए परिणामों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

5.1 मिशन आउटपुट: मिशन का वर्षावार अनुमानित आउटपुट नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका-2: मिशन आउटपुट

मिशन के उद्देश्य	प्रमुख शीर्षक	कुल (वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31)	
घरेलू और विदेशी सोसाइंग को सुरक्षित करना	घरेलू महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाएं	1200	
	विदेशी महत्वपूर्ण खनिज खानें	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	26
		निजी कंपनियां	24
	पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना - कुल पुनर्चक्रित सामग्री (केटी)	400	
मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करना	महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला में पेटेंट	1000	
	कौशल विकास	10000	
	खनिज प्रसंस्करण पार्क	4	
	उत्कृष्टता केंद्र	3	
	खनिज भंडार (संचयी)	5	

विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार होने के बाद, जहां भी आवश्यक होगा, लक्ष्यों को समायोजित किया जाएगा।

5.2 मिशन के परिणाम

- घरेलू खनिज उत्पादन का विस्तार: मिशन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-2031 तक 1,200 महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाओं और 100 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी को पूरा करना होगा, जिसका उद्देश्य कम से कम 15 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों (जैसे ग्रेफाइट, लिथियम, पोटाश, दुर्लभ मृदा तत्वों) का घरेलू उत्पादन सुनिश्चित करना है, जिससे आयात निर्भरता कम हो और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आपूर्ति शृंखला सुरक्षित हो।
- महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना: हम आशा करते हैं कि वर्ष 2031 तक घरेलू महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन महत्वपूर्ण खनिजों की राष्ट्रीय वार्षिक मांग का 10% तक पूरा करने में सक्षम होगा, जो भारत के आत्मनिर्भरता के सामरिक उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण: भारतीय कंपनियां लिथियम, निकल, तांबा, कोबाल्ट और ग्रेफाइट सहित प्रमुख बैटरी खनिजों पर केंद्रित कम से कम 50 विदेशी खनन परिसंपत्तियों को सुरक्षित करेंगी। इन अधिग्रहणों से सतत आपूर्ति सुनिश्चित होगी और वर्ष 2031 तक वार्षिक महत्वपूर्ण खनिज मांग का 5% पूरा होने की संभावना है।
- पुनर्चक्रण के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: मिशन का उद्देश्य देश की महत्वपूर्ण खनिजों की वार्षिक खपत का कम से कम 10% पुनर्चक्रण करना है, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को बल मिलेगा और प्राथमिक कंड्रे माल पर निर्भरता कम होगी।
- अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार को उन्नत करना: यह मिशन 100 घरेलू अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और कई अंतरराष्ट्रीय सहयोगी पहलों का समर्थन करेगा, जिसका उद्देश्य निष्कर्षण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों को उन्नत करना है। इसमें वर्ष 2031 तक कम से कम 5 महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य शृंखला में 1,000 पेटेंट बनाना शामिल होगा।
- कुशल कार्यबल विकास: यह मिशन महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त 10,000 कुशल पेशेवर सूचित करेगा - खनन और प्रसंस्करण से लेकर पुनर्चक्रण तक - जिससे भारत के उद्योगों को विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मानव पूँजी से सुसज्जित किया जा सके।
- उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना: मिशन वर्ष 2031 तक 3 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना करने की दिशा में काम करेगा, ताकि महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला में परियोजनाओं और प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
- क्षेत्रीय प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण: देश भर में चार क्षेत्रीय खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना, जिसका उद्देश्य घरेलू शोधन और प्रसंस्करण क्षमताओं को सुदृढ़ करना, अंतरराष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्रों पर निर्भरता कम करना और एक एकीकृत आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देना है।
- सुव्यवस्थित विनियामक ढांचा: महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं के लिए त्वरित विनियामक अनुमोदन का कार्यान्वयन, गवेषण से उत्पादन तक तीव्र परिवर्तन की सुविधा और सामरिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक संसाधनों तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करना है।
- वैश्विक साझेदारी और सहयोग को सुदृढ़ करना: यह मिशन सामरिक व्यापार समझौतों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संसाधन संपन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देगा, महत्वपूर्ण खनिजों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करेगा और खनिज प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में उन्नत प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा।
- राष्ट्रीय भंडार की स्थापना: कम से कम 5 महत्वपूर्ण खनिजों वाले राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार का निर्माण, जिसे वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों से होने वाले जोखिमों को कम करने और आपात स्थितियों के दौरान घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तैयार किया गया है।
- सुदृढ़ शासन और निगरानी: एक समर्पित मिशन सचिवालय द्वारा समर्थित महत्वपूर्ण खनिजों पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन, सुदृढ़ शासन प्रदान करेगा और पहलों का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगा, जिससे मिशन की प्रगति का समय पर कार्यान्वयन और नियमित निगरानी संभव हो सकेगी।

6. शासकीय ढांचा

- ### 6.1 महत्वपूर्ण खनिजों पर अधिकार प्राप्त समिति:
- खान मंत्रालय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का प्रशासनिक मंत्रालय होगा। मिशन के कार्यकलापों का समन्वय एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और जिसमें संबंधित हितधारक मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे। अधिकार प्राप्त समिति निम्नलिखित कार्य करेगी-

- I मिशन के कार्यकलापों की निगरानी और समीक्षा करना;
- II विदेशों में निवेश एवं खनिजों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश देना।
- III उप-घटकों के दिशा-निर्देशों को मंजूरी देना; और
- IV मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकने वाले मिशन घटकों में परिवर्तनों को मंजूरी देना।

अधिकार प्राप्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-

- i) कैबिनेट सचिव-अध्यक्ष
- ii) सीईओ, नीति आयोग-सदस्य
- iii) सचिव, व्यय विभाग-सदस्य
- iv) सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग-सदस्य
- v) सचिव, कोयला मंत्रालय-सदस्य
- vi) सचिव, वाणिज्य विभाग-सदस्य
- vii) सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय-सदस्य
- viii) सचिव, विदेश मंत्रालय-सदस्य
- ix) सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)-सदस्य
- x) उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी एनएसए)-सदस्य
- xi) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)-सदस्य
- xii) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)-सदस्य
- xiii) सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस-सदस्य
- xiv) सचिव, विद्युत मंत्रालय-सदस्य
- xv) सचिव, लोक उद्यम विभाग-सदस्य
- xvi) सचिव, इस्पात मंत्रालय-सदस्य
- xvii) सचिव, खान मंत्रालय- संयोजक /सदस्य सचिव
- xviii) पांच तकनीकी विशेषज्ञ अध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेंगे।

6.2

मिशन सचिवालय की स्थापना: मिशन सचिवालय में संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक समर्पित टीम होगी, जो मिशन प्रमुख के रूप में काम करेगी। मिशन में एक निदेशक, भूवैज्ञानिक, खनिज अर्थशास्त्री तथा खनन उद्योग, खनिज प्रसंस्करण उद्योग और वित्त से पेशेवर भी शामिल होंगे। सचिवालय में अबर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी और सहायक कर्मचारी भी होंगे। इसके अलावा, सचिवालय मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार किसी अन्य पेशेवर को भी शामिल कर सकता है।

निम्नलिखित स्थायी पद मिशन को सहयोग प्रदान करेंगे-

- 1) एक-संयुक्त सचिव-मिशन प्रमुख
- 2) एक-निदेशक
- 3) दो-जीएसआई* से एसटीएस अधिकारी (भूविज्ञान)
- 4) एक-आईबीएम* से जेटीएस अधिकारी (खनिज अर्थशास्त्र)
- 5) एक-जेटीएस अधिकारी (वित्त या व्यवसाय प्रशासन)
- 6) एक-अबर सचिव

- 7) एक-अनुभाग अधिकारी
- 8) दो-सहायक अनुभाग अधिकारी
- 9) दो-एमटीएस

*क्रमांक 3 और क्रमांक 4 के अधिकारियों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) से संबद्ध किया जाएगा या प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाएगा।

परिशिष्ट

एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज [24 खनिज]

1. वेरिल और अन्य वेरिलियम युक्त खनिज।
2. कैडमियम युक्त खनिज।
3. कोबाल्ट युक्त खनिज।
4. गैलियम युक्त खनिज।
5. ग्लौकोनाइट।
6. ग्रेफाइट।
7. इंडियम युक्त खनिज।
8. लिथियम युक्त खनिज।
9. मोलि�ब्डेनम युक्त खनिज।
10. निकल युक्त खनिज।
11. नियोवियम युक्त खनिज।
12. फॉस्फेट (यूरेनियम के बिना)।
13. प्लैटिनम समूह के तत्व युक्त खनिज।
14. पोटाश।
15. "दुर्बल मृदा" समूह के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम नहीं होते।
16. रेनियम युक्त खनिज।
17. सेलेनियम युक्त खनिज।
18. टैंटालम युक्त खनिज।
19. टेल्यूरियम युक्त खनिज।
20. टिन युक्त खनिज।
21. टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन)।
22. टंगस्टन युक्त खनिज।
23. वैनेडियम युक्त खनिज।
24. जिरकोनियम युक्त खनिज और जिरकॉन सहित अयस्क।

[फा.सं. 28/15/2024-सीएमएम-भाग (1)]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2025

F. No. 28/15/2024-CMM-Part(1)—Consequent upon the approval of the Cabinet, the Ministry of Mines, Government of India hereby notifies the following Mission, namely:—

NATIONAL CRITICAL MINERAL MISSION**1. Vision**

Hon'ble Union Finance Minister announced setting up of 'Critical Mineral Mission' in the Union Budget speech 2024-25 on 23.07.2024. The relevant text of the speech is reproduced below-

"We will set up a Critical Mineral Mission for domestic production, recycling of critical minerals, and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism."

Accordingly, the National Critical Mineral Mission (NCMM) will be set up for seven years from 2024-25 to 2030-31 with the following vision-

"As India embarks on the journey of Viksit Bharat 2047, minerals will continue to play an important role for the nation's progress. The National Critical Mineral Mission (NCMM) envisions securing a long-term sustainable supply of critical minerals and strengthen India's critical mineral value chains encompassing all stages from mineral exploration and mining to beneficiation, processing, and recovery from end-of-life products. The NCMM seeks to develop a holistic action plan through strategic interventions in the form of policy reforms, financial support, infrastructure facilities, human resource development, technological advancements and international collaboration. The Government's aim is to build a globally competitive and resilient critical mineral ecosystem for India."

2. Background**2.1 Overview of Critical Minerals**

- 2.1.1** Mineral resources have been fundamental to the development of human civilisation. For centuries, minerals have been used for diverse set of applications in the sectors such as trade, tools, infrastructure, agriculture, technology, energy and defence. Such varied use of minerals has led to economic growth, technological progress, and societal development throughout the history of mankind.
- 2.1.2** Critical minerals are the foundation of contemporary industrial economies, enabling technological advancements and boosting economies. They are defined as a set of naturally occurring elements and compounds that have diverse irreplaceable industrial applications but confront supply-related vulnerabilities either in the form of their limited geographic occurrences or sourcing challenges.
- 2.1.3** India's commitment to achieve net-zero emissions by 2070 includes ambitious targets outlined in its Nationally Determined Contributions (NDCs). By 2030, India aims to have at least 50% of its cumulative installed power capacity sourced from non-fossil fuels, while simultaneously reducing CO₂ emissions by 1 billion tonnes and lowering carbon intensity to below 45%. The transition towards decarbonisation, particularly in the energy sector, is expected to drive significant demand for critical minerals. As the energy transition progresses, there will be increased demand for critical minerals to support the manufacturing of electric vehicles, wind and solar energy projects, and battery storage systems.
- 2.1.4** There is a need to recognise the importance of certain critical minerals, such as Potash, which play an important role in food production and processing value chains in India. Food security is paramount to the welfare agenda of the state and as such securing the supply of minerals needed for food production is important. Moreover, there is a reliance on the import of select minerals embedded in the food production industry and therefore the central Government shall focus on domestic production and securing the supply of such minerals.
- 2.1.5** India's strategic and defence sector also needs critical minerals for the manufacturing of defence equipment. Domestic production and sourcing of these minerals for nuclear and defence applications is also paramount. The applicability of critical minerals across energy, food, telecommunication, electronics, defence amongst other sectors makes the development of domestic industry and resilience of global supply chains an urgent policy necessity.

- 2.1.6** Critical mineral resources across the world are geographically concentrated with at least 55% of each of the identified critical minerals² found in only 15 countries, as of date. A significant amount of lithium reserves is found in Latin American countries. The Democratic Republic of Congo (DRC) has almost 50% of the world's cobalt reserves. Indonesia and the Philippines have abundant nickel and cobalt reserves, with Indonesia standing out as a global leader in nickel reserves. Moreover, China produces about 60% of rare earth elements (REE) and molybdenum, while covering for almost 85% processing of much of the overall global rare earth supply. According to IEA, although mining operations for critical minerals have become more geographically diverse, little has changed for refining facilities. China controls 50% of planned lithium chemical plants, while Indonesia dominates with 90% of planned nickel refining facilities. India is a major producer of minerals like graphite and silicon, with reserves of select critical minerals with potential for further development. Therefore, India needs to develop an Indigenous critical minerals value chain along with addressing sourcing challenges due to current global natural resource endowments, incumbent global mining and processing industrial base, regulatory barriers, and protectionism.

2.2 Reforms on Critical Minerals

- 2.2.1** Based on the inter-ministerial consultations and well-crafted methodology capturing the Economic Importance and Supply Risk, the Ministry of Mines released a list of 30 critical minerals in June, 2023. Their applications and uses span across various industries right from manufacturing of clean energy components to electronics, telecommunication, aerospace, defence, chemicals, fertilizers, etc. Out of these thirty elements, fourteen have been highlighted for having both high economic importance as well as high supply risks. Seven have been categorised as elements of high supply risks and nine as elements with high economic importance.
- 2.2.2** As per the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act), mineral concessions are auctioned by the State Governments. Some of the minerals identified as critical minerals were in the list of atomic minerals under the MMDR Act and hence their exploration and mining was reserved only for Government companies. In order to prioritise their exploration and mining, the MMDR Act was amended in August 2023. Through the amendment, 6 minerals, viz., lithium, beryllium, titanium, niobium, tantalum and zirconium, were removed from the list of atomic minerals thereby enabling the participation of private entities in exploration and mining of these critical minerals. A new list of 24 critical and strategic minerals (Appendix) was added in the MMDR Act which also includes the 6 minerals removed from the list of atomic minerals. The Central Government has been empowered to auction the blocks for these critical and strategic minerals. The amendment in the Act also introduced provisions for grant of a new mineral concession, namely, Exploration Licence (EL). Exploration Licence granted through auction shall permit the licence holder to undertake reconnaissance and prospecting operations for 29 critical and deep-seated minerals specified in the newly added Schedule to the Act. Out of these, 29 minerals, 23 are critical minerals. This amendment is expected to provide conducive legal environment for attracting foreign direct investment (FDI) and junior mining companies in the country. The government has also instituted a mechanism to share the project costs associated with critical minerals projects undertaken by Exploration Agencies under the Exploration Licence (EL) regime. This provision will encourage the industry to participate in the exploration of critical minerals and help increase the domestic production base of the country.
- 2.2.3** In addition to the reforms brought in the MMDR Act, which applies to the minerals found in the land, the statute for development and regulation of minerals in the offshore areas of the country, viz., the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (OAMDR Act), was also amended in August 2023. The offshore areas of country, which includes the territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zones of India, contains promising resources of critical minerals such as heavy placer minerals (containing REE and titanium), phosphorite and polymetallic nodules and crusts (containing cobalt, nickel, etc.). The amendment in the OAMDR Act introduced auction as methodology of allocation of offshore mineral blocks. The Central Government is geared up to initiate auction of offshore mineral blocks in 2024 itself by enabling exploration and mining of offshore minerals for the first time in the country. The amendment in the Act also provided for establishment of the Offshore Areas Mineral Trust for funding for exploration, subsea survey, research, organizing capacity building programmes to raise technical capability of personnel, encouraging and assisting international co-operation in knowledge and technology exchange programmes, etc.

2.3 International Policy Outlook on Critical Minerals

- 2.3.1** The policies of major economies are focused on building sovereign capabilities in critical minerals' value chains, while creating jobs and economic opportunities. They emphasise leveraging private capital and innovation to diversify and expand clean energy supply chains. The United States' Inflation Reduction Act (IRA), the European Union's Critical Raw Materials Act and Japan's Economic Security Act are some

¹Identified minerals include Cobalt, Copper, Graphite, Lithium, Manganese, Nickel and Rare Earth Elements

examples. These policies seek to incentivise local or regional supply chains through tax credits, Government investments, tariffs, and non-tariff regulations. Matured markets are utilising their competitive advantage in terms of technology readiness, human resources, international influence, and partnerships, to achieve emission reduction and energy security.

2.3.2 The approach of major producers of critical minerals such as the African Union is to move from raw material production to focus on value addition, and increased participation in the global value chains. In Latin America, Chile has developed a National Lithium Strategy, focusing on attracting investments and developing of lithium value chain. Argentina intends to promote value addition in both upstream and downstream segments concerning Lithium. In Brazil, the policy supports projects to produce identified “strategic minerals”, while in Peru, there is a focus on the country’s significant reserves of copper. Overall, the producer countries want to enhance value creation and integrate into global supply chains, thereby diversifying beyond raw material extraction.

2.3.3 The national strategies of major markets for critical minerals aim to create a robust and secure critical minerals value chain. The U.S. wants to secure access to critical minerals through trade and investment and fostering international partnerships. Australia wants to become a globally significant producer of raw and processed critical minerals by 2030. The U.K. focuses on diversifying supply across the world, mitigating risks and improving the resilience of critical mineral supply chains. The European Union envisions local production as key for its energy and mobility systems overhaul and the creation of the Critical Raw Materials Club to strengthen global supply chains.

2.3.4 The need for “reliable, responsible and sustainable supply chains of critical minerals” has been reiterated across multilateral forums across the world. Similarly, regional groups such as the Mineral Security Partnership (MSP), and the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) have developed frameworks to collaborate on critical minerals. India has also developed bilateral engagement with countries such as Australia, Argentina, and Chile for critical minerals.

2.3.5 Under the UN Secretary-General’s Panel on Critical Energy Transition Minerals, four workstreams have been decided, namely, (i) benefit-sharing, local value addition and economic diversification (ii) transparent, fair trade and investments (iii) sustainable, responsible, and just value chain and (iv) mineral supply stability. International governments, non-government organisations and other relevant stakeholders are trying to reach a consensus and develop a global governance ecosystem on issues related to critical minerals value chains.

2.4 India's Comparative Advantage

2.4.1 India has considerable reserves of select critical minerals and further exploration of critical minerals has been proactively undertaken by the Government. India has an ever-increasing domestic demand for low-carbon technologies, indicating the potential for a large critical minerals market. The prospects of upcoming supply along with a significant domestic demand base may lead to increased participation in global value chains. Additionally, India has a strong base of mining and manufacturing industries, catering to sectors such as steel, cement, aluminium, etc.

2.4.2 India has a strong network of Government and private research labs. The nation is also building a strong skill base in geological sciences, mineral exploration, mining, and processing by increasing seats in premier national institutes such as IITs, NITs, Central, State and private Universities. India also has one of the highest numbers of STEM graduates in the world. Furthermore, Skill India Mission is implementing the craftsmen training scheme in Industrial Training Institutes (ITI) in trades, including mining and mineral processing which will increase the availability of workforce in the sector. Similarly, several polytechnic institutes in India is one of the resource for providing technical & skilled human resource. India's easy availability of skilled labour can also help maintain a competitive cost of the critical mineral value chain globally.

3. Mission Objectives

The Mission envisions the establishment of a comprehensive framework to develop a robust critical mineral supply chain to support the nation’s goals of boosting economic activities, combating climate change, guaranteeing food security and ensuring sustainable development for all. The Mission will be applicable to 24 critical minerals identified by the Government of India in June 2023 (Annexure I) and will include any minerals that are subsequently added or changed from the list over time.

The National Critical Mineral Mission aims to achieve the following **two objectives**-

- i) **To secure India's critical mineral supply chain** by ensuring mineral availability from domestic and foreign sources.
- ii) **Strengthening the value chains** by enhancing technological, regulatory, and financial ecosystems to foster innovation, skill development, and global competitiveness in mineral exploration, mining, beneficiation, processing, and recycling.

In pursuit of the Mission objectives, the Government will strategically implement seven pivotal measures alongside some concurrent initiatives each serving as a cornerstone for elucidating action points that constitute the Mission's essential components, namely

- i) Increasing Domestic Critical Minerals Production
- ii) Acquisition of Critical Mineral Assets Abroad
- iii) Recycling of Critical Minerals
- iv) Trade and Markets
- v) Scientific Research & Technological Advancement for Critical Minerals
- vi) Human Resource Development
- vii) Developing Effective Funding, Financing and Fiscal Incentives

Each one of these measures will encompass a range of specific interventions tailored to its respective needs. These interventions can be broadly categorized into seven broad heads;

- i) **Whole-of-Government approach:** The government will adopt a whole-of-government approach, to promote collaboration, integration and efficient programme management for the Critical Minerals Mission.
- ii) **Policy change:** The government shall undertake policy change to further exploration, extraction, beneficiation, processing, and recycling of critical minerals.
- iii) **Financing:** The government will enable financial incentives to support the development of critical minerals in India and acquire assets from international sources to satisfy market and strategic demand.
- iv) **Infrastructure Development:** The government will assist in the creation/procurement of equipments/pilot plant setup and supporting research, civil and logistics infrastructure for critical minerals.
- v) **Human Resource Development:** The government shall undertake capacity building across the critical minerals value chain, to develop human resources to service the sectoral requirements.
- vi) **Technology:** The government will create an enabling ecosystem for research and development (R&D) in the country, focusing on technology creation, collaboration and transfer across the value chain.
- vii) **International Collaboration:** The government shall leverage coordination and collaboration with international partners to secure and strengthen India's critical minerals supply chains.

4. Mission Components

The National Critical Mineral Mission comprises several key components designed to ensure a **sustainable, resilient, and self-reliant critical minerals** value chain in India. These components are structured to address short, medium and long-term goals, aligning with the broader vision of **Atmanirbhar Bharat** and **Viksit Bharat**. The Mission components will be implemented in a manner that addresses immediate needs, while laying the groundwork for long-term sustainability.

4.1 Increasing Domestic Critical Minerals Production

4.1.1 Expanding Exploration and Mining activities: The Government agencies shall undertake 1200 exploration projects between FY 2024-2025 to FY 2030-2031. Moreover, to scale up mining activities, more than 100 blocks of critical minerals resources will be auctioned by FY 2030-2031. The government will also enhance the expenditure from the National Mineral Exploration Trust (NMET) through public sector and notified private exploration agencies in the exploration of critical minerals blocks. To this extent, **INR 3,000 Crores (until FY 2030-2031)** will be allocated for critical minerals exploration under NMET by enhancing the existing budget. Additionally, the Geological Survey of India will aim to spend **INR 4,000 Crores (until FY 2030-2031)** for critical minerals exploration in the country from its regular budget.

4.1.2 Mining in offshore areas: The OAMDR Act has recently been amended through the OAMDR (Amendment) Act, 2023 w.e.f. 17.08.2023 which brought major reform by introducing auction as the method of allocation of operating rights in the offshore areas. Offshore blocks of polymetallic nodules & crusts contain minerals like Cobalt, REE, Nickel, Manganese etc. have been explored and have been put up for auction recently. Enhanced efforts will be made to explore more critical mineral bearing blocks in offshore areas and start mineral production.

4.1.3 Critical Minerals Regulatory Support Programme: To expedite the transition from critical minerals exploration to mining operations, a streamlined approach to regulatory requirements and permissions is imperative. The government shall endeavour to create a fast-track regulatory approval process for domestic critical minerals exploration and mining projects, given the strategic importance of the sector.

- 4.1.4 Concession for Private Exploration:** The Government has introduced a new concession viz; **Exploration Licences (EL)** for encouraging private participation in exploration activities. The Government will share the risk of Exploration Licences holders through an already notified scheme for partial funding of exploration expenses. Similarly, a scheme has been notified for partial funding of exploration expenses of Composite Licence (C.L.) holders. Government shall make the necessary changes in the scheme, if required.
- 4.1.5 Recovery of Critical Minerals from overburden/tailings/fly ash/red-mud etc.:** Promoting recovery of the critical minerals from mine tailings by using technologies like hydrometallurgy, solvent extraction, electrochemical and bio-hydrometallurgy or bioleaching processing etc. which can be a low cost and potential secondary source. The regulatory regime will be relaxed to encourage optimum recovery of critical minerals from various sources such as overburden, tailings, fly ash, red mud, existing mines etc. Moreover, as several critical minerals are associated with major minerals, the Government will design a lower revenue share for critical minerals associated with major minerals. To promote the ecosystem, the government will allocate **INR 100 Crores** during the Mission period for setting up pilot projects for mineral recovery through novel methods by encouraging collaborations between industry, academia and research institutions.
- 4.1.6 Assessment of Trace Elements/Critical Minerals during Exploration:** It is important to ensure that exploration and mining companies, both the government and private, while taking up exploration, take up required investigation for identification and assessment of all possible minor or associated minerals which may genetically co-exist with the major minerals being explored. The government will enable collaboration across ministries to integrate data with the National Geoscience Data Repository (NGDR) portal for optimum assessment of trace elements/critical minerals. Efforts will also be made to re-examine the already explored exploration data, preserved rock core and rock samples etc. for assessment of possible association of critical minerals co-existing with the major/minor, minerals being mined principally. The NCMM along with agencies like GSI, and IBM prepare SOP/guidelines to facilitate the assessment.
- 4.1.7 Formation of Mineral Processing Parks using existing infrastructure:** To build domestic critical minerals processing capabilities the government will create mineral processing parks to house mineral processing industries. A scheme will be prepared by the Ministry of Mines in consultation with Ministry of Finance. Efforts will be made to utilise existing industrial parks if available. The government aims to **allocate INR 500 Crores by FY 2030-2031 to support such parks.** The government will also work to foster Research and Development (R&D) for beneficiation and processing of critical minerals, mineral reagents, electrolytes, catalysts, bleaching agents etc.
- 4.1.8 Role of State Governments:** States will be encouraged to expedite the granting of various statutory clearances for critical minerals exploration and mining projects. The State Governments shall also promote exploration, mining, processing, and R&D in the critical minerals value chain through Mission and infrastructure support. Additionally, the State Public Sector Undertakings (PSUs) will be encouraged to actively participate in acquiring mineral assets abroad or make financial investments to support other Central PSUs.

4.2 Acquisition of Critical Mineral Assets abroad

- 4.2.1 Mapping and Acquisition of Significant Critical Mineral Assets:** The Mission will extend support for mapping and detailed exploration of critical mineral assets in resource-rich countries through the Geological Survey of India (GSI), PSUs or other Indian entities with the objective of supplying minerals to India. Indian entities shall be encouraged to collaborate with partners in international exploration and acquisition projects. **The NMET is expected to spend INR 1600 Crores up to FY 2030-2031, to support critical minerals exploration activities outside India.**
- 4.2.2 PSUs and private companies in Overseas Critical Mineral Assets Acquisition:** The Government of India will motivate the Central Public Sector Undertakings (PSUs) and encourage private sector companies to allocate funds for the acquisition of critical mineral assets overseas. The **Empowered Committee** will give broad directions and inter-ministerial support to PSUs and stakeholders to acquire critical mineral assets abroad. The Government of India will empower the Central Public Sector Undertakings (PSUs) and their Joint Ventures (JVs), subsidiaries to invest in mineral assets abroad by issuing necessary guidelines. The PSUs will take commercial decisions in making investments to abroad. It is expected that PSUs and other companies will invest around INR 2500 crores per year in critical mineral assets abroad which will cumulatively lead to an investment of around **INR 18,000 Crores by FY 30-31.**
- 4.2.3 Facilitation of PSU-led Asset Acquisitions with Private Sector Collaboration:** The Government of India will facilitate central PSUs in leading asset acquisitions in association with private companies contributing capital and sharing revenue. Equity participation by Central Public Sector Undertakings (PSUs) can provide financial support while sharing the risk, fostering a collaborative environment whereas, offtake agreements will secure supply security to Indian manufacturing. Private companies will have option to go solo or JV with PSUs This initiative will encourage central PSUs and private industries to enter the critical minerals sector,

enhancing domestic processing and production capabilities. Additionally, collaboration with foreign countries and companies will be fostered to meet the needs of domestic downstream industries.

4.2.4 Encouraging Indian companies through targeted Financial Support: With the aim of increasing supply of critical minerals to India, encourage the participation of Indian public and private sector companies in the acquisition of assets abroad, the Government will provide targeted subsidies for mining and for setting up evacuation infrastructure. Subsidies can lower the risk in investment made for mine development and resource retrieval. **The Government will allocate INR 4,000 Crores for such projects up to FY 2030-2031 from NMET.** In this regard, the Mission will formulate detailed scheme. The companies can avail subsidies as may be allowed under scheme.

4.2.5 Infrastructure Support: The Ministry of Mines will work very closely with the Ministry of External Affairs to engage with the regulators from the resource country to support the development of mineral evacuation infrastructure.

4.3 Recycling of Critical Minerals

4.3.1 Guidelines/SOPs for Recycling of Critical Minerals: Formulation of separate guidelines/SOPs for recycling of critical minerals to streamline the informal mineral recycling sector in the country. Best practices from the Extended Producer Responsibility (EPR) norms for plastics and e-waste management in India will be considered while designing the guidelines for critical minerals. The NCMM will support EPR regulations through analytical studies and the development of innovative solutions to secure and optimize the critical minerals' supply chain.

4.3.2 Incentive scheme for Recycling of Critical Minerals: An incentive scheme for setting up minerals recycling clusters shall be prepared by the Ministry of Mines in consultation with Ministry of Finance. The scheme will identify targets for the production of recycled minerals for the medium and long-term and distribute the incentives to interested industries accordingly. The quantum of incentive for the scheme is pegged at **INR 1500 Crores**.

The proposed scheme will cover Lithium, Nickel, Cobalt, Graphite, PGE, REE, Antimony, Cadmium, Gallium, Germanium, Indium, Molybdenum, Selenium, Silicon, Strontium, Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium and Zirconium.

4.3.3 Formation of Recycling Advisory Group for Critical Minerals: Formation of a Recycling Advisory Group to assess the presence of different critical minerals in domestic and imported products and suggest necessary measures for optimum recovery of critical minerals from these products.

4.4 Trade and Markets

4.4.1 Enhance Trade with Resource-Endowed Countries: There is a need to increase engagement with resource-rich countries on trade and investments across critical mineral value chains to ensure long-term security and sustainability. The government shall aim to enter into Critical Minerals Partnership Agreements (CMPA) with resource-rich countries. The government will also work to include critical minerals chapters in existing bilateral/Free Trade agreements with countries of interest.

4.4.2 Harmonise Tariffs through Bilateral FTAs: Bilateral free trade agreements (FTAs) can address harmonising tariff structures to facilitate ease of trade. The government shall actively engage with stakeholders concerning revising critical minerals sector relevant Harmonised System (HS) codes in line with the World Customs Organisation (WCO) tentative HS code revision in 2027.

4.4.3 Eliminate a number of Import Duty on Critical Minerals: The government has eliminated import duty on critical minerals, based on strategic requirements, to facilitate easier flow of these essential resources into the country. Eliminating import duties will have several benefits. First, it will reduce the financial burden on domestic industries that rely on critical minerals, making them more competitive in the global market. Second, it will attract foreign investment by creating a more favourable business environment for companies involved in the processing and utilisation of these minerals. Consequently, it will stimulate the growth of downstream industries by ensuring that critical minerals are readily available and affordable. Government will also periodically review the import duty on critical minerals based on their strategic requirement for the country.

4.4.4 Removal of Import Duty and Other Barriers on Recyclable Materials: To encourage the growth of the recycling industry and attract more companies to engage in processing and value addition for the domestic sector, import duties and other barriers on recyclable materials such as scrap, black mass, and e-waste shall be revisited. This effort will help in ensuring a steady supply of raw materials for recycling, fostering a favourable environment for businesses to thrive and contribute to domestic value addition. If any issue arises regarding the influx of unwanted e-waste, the government will take necessary measures to address and mitigate these challenges effectively. The focus will remain on building a robust recycling infrastructure that not only supports the economy but also adhere to environmental standards.

4.4.5 Develop National Critical Minerals Stockpile/Reserves: Identification of essential critical minerals and establishing mechanisms for timely activation of the stockpile through interactions with industry stakeholders and Government agencies to coordinate emergency response efforts and ensure stockpile utilisation is important. A joint initiative between central PSUs or with private companies shall be institutionalised to develop a National Critical Mineral Stockpile Programme, for stockpiling critical and strategic minerals, to guard against supply disruptions and aid mineral supply for domestic utilisation. To develop the National Critical Minerals Stockpile/Reserves, the government will allocate **INR 500 Crores** during the Mission period for this purpose. Guidelines for the program will be prepared in consultation with Ministry of Finance.

4.5 Scientific Research & Technological Advancement for Critical Minerals

4.5.1 Promoting Research and Innovation in Critical Minerals: Support the deployment of state-of-the-art extraction, processing, and recycling technologies by leveraging domestic R&D infrastructure and existing commercial solutions. The Government will seek to support the patent filing procedures for innovators, start-ups, and enablers through improving coordination among institutions/organisations such as the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Indian Institute of Technology (IIT), Indian Institute of Science (IISc), and others. These integrating efforts are aimed at tackling the emerging innovative and technological challenges to the critical minerals sector. The government will **allocate INR 500 Crores till FY 2030-2031 for promoting domestic Research and Development (R&D) in the country.** Additionally, industry-specific need analyses will be conducted from time to time to guide efforts in bridging R&D gaps essential for achieving technology commercialisation at scale.

The funding for R & D will be arranged from the Anusandhan National Research Foundation (ANRF) of Department of Science & Technology and other R & D schemes as may be eligible under their guidelines.

4.5.2 Establishing Centers of Excellence (COE) on Critical Minerals: The Ministry also suggested the constitution of Centers of Excellence on critical minerals. The Centres shall work on a Hub and Spoke Model with institutions/organisations and research labs working on critical minerals. The Centers of Excellence (COE) will work on the critical minerals value and aim to synergise R&D and innovation with the national objectives. The existing infrastructure including manpower, of these organizations will be utilised for undertaking the proposed research work. If need be, the project related manpower will be hired on contract basis by these CoE.

4.5.3 Supportive Mechanisms and Regulatory Simplification: The government will simplify regulations and enhance collaboration with technology labs and academia to bolster local capabilities. Additionally, supportive mechanisms will be developed to overcome challenges such as lead times for technology acquisitions, import duties, and skilled workforce requirements.

4.5.4 Global collaboration on R&D: India will leverage existing technical advancements made by many countries and companies by working with them on technology R&D – especially on mineral processing. The government will earmark **INR 500 Crores** from ANRF and other R & D schemes as may be eligible under their guidelines, especially to focus on global R&D collaboration across the critical minerals value chain. Additionally, industry-specific need analyses will be conducted from time to time to guide efforts in bridging R&D gaps essential for achieving technology commercialisation at scale.

4.6 Human Resource Development

4.6.1 Promoting Expertise and Skilled Workforce in Critical Minerals: To enhance human resource capacities and develop a skilled workforce capable of participating actively in the critical minerals value chain across, exploration, mining, processing, manufacturing and recycling, the government will establish Skill Development Centers, with an **allocation of INR 100 Crores till FY 2030-2031.** Scientific research institutes such as IITs, universities, research centres, private sectors etc. will be encouraged to facilitate research and training for workforce development by supporting PhD and Masters Programmes in Universities. Guidelines for providing assistance to the skill development centres will be prepared in consultation with Ministry of Finance and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). Efforts will be also directed towards facilitating continuous skill upgrading and training programs for individuals already engaged in the critical mineral value chains.

4.6.2 Develop Targeted Degree Programs, Scholarships, and Internships: In collaboration with the universities and technical institutions, the Government of India will develop and introduce specialised modules by 2026. These modules will specifically focus on sustainable consumption and production of critical minerals which will be incorporated into the existing mining, metallurgy and recycling technologies degree programmes.

4.6.3 Capacity Building Programs for Resource-Endowed Countries: The Government will offer Capacity Building Programmes to resource-rich countries through GSI, MECL, IBM, Indian institutes and universities. These programs will enhance the capacities of these nations while creating a stable supply of critical minerals for India, fostering a win-win environment that benefits both parties through strengthened cooperation and mutual growth.

4.7 Concurrent Initiatives

4.7.1 Updating of Critical and Strategic Minerals List through continuous Risk and Demand Assessment:

The government through CMM will periodically refine the criticality assessment framework based on supply risk and economic importance and accordingly update the list of critical minerals for India. Identification of long-term risks (such as price and demand fluctuations) for critical minerals due evolving technology landscape will be prioritised. Ministry of Mines with possible collaboration with entities such as the NITI Aayog will undertake the assessments of these risks and provide time-bound approvals. The Mission will also encompass demand assessments from time to time with the industrial and technological needs.

4.7.2 Development of a Traceability System for Critical Minerals:

The Government shall aim to develop a Critical Mineral Traceability system to enhance the tracking and monitoring of critical minerals in India. This initiative will offer transparent information on critical minerals' composition and related information in products. The broader aim of this initiative will be to empower consumers to make informed decisions on the use of critical mineral-intensive products.

4.7.3 Outreach and Public Awareness:

The Government will establish a Critical Minerals Forum and Outreach Program as a platform for collaboration and innovation within the sector. Involving government entities, PSUs, private companies, CSOs, and other stakeholders, the forum will facilitate strategic discussions, international procurement initiatives, and investment attractions. Regular sessions, networking events, workshops, and knowledge-sharing initiatives will promote business expansion, financial investments, and technological advancements. The forum will also monitor global trends in critical minerals to help stakeholders stay informed and seize emerging opportunities.

4.8 Developing Effective Funding, Financing and Fiscal Incentives

The Mission has identified various avenues for the development of a critical minerals value chain in India, which will necessitate financial support. These include exploration, mining, processing, recycling projects, as well as investment in R&D and human resource development to foster innovation. The Ministry of Mines through GSI, NMET and S&T programmes already taking action towards the activities of the Mission. A substantial part of additional requirement of funds to carry out the activities envisaged under the Mission will be met through National Mineral Exploration Trust (NMET) funds. The corresponding amendment in the MMDR Act will be made to enable the National Mineral Exploration Trust to fund the proposed activities of the Mission. A part of fund required i.e. INR 2600 crores will be sought as additional budgetary support.

Further, the Mission will be open to receiving financial assistance, from international institutions and other sources for its activities. The Mission will encourage collaborative projects with other countries, and international institutions towards achieving its objectives.

As the activities of the NCMM ramp up in subsequent years, additional funding will be mobilised through multiple channels, including public, private, bilateral and multilateral entities ensuring a sustained financial support for the critical minerals sector.

4.8.1 Developing appropriate Fiscal Measures:

To facilitate the financial ecosystem for the critical minerals in India, the Mission will make efforts to develop and implement a range of fiscal measures designed to incentivise junior exploration and mining companies. These measures may include the introduction of tax credits and soft loans for investments in critical minerals exploration and development, aimed at reducing the financial burden on companies, and making investments more attractive and feasible. Additionally, mechanisms to encourage investments in critical mineral exploration and mining with aim to lower the risk for investors while ensuring that companies have the essential capital needed will be developed. By integrating these fiscal measures with broader financial initiatives, the Mission aims to create a robust financial environment that supports the development of the critical mineral sector in India. Moreover, the Mission will pursue the inclusion of critical mineral value chain in the Harmonised Master List (HML) of Infrastructure sub-sectors as of F. No. 13/1/2017-INF.— of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

4.8.2 Leveraging funding from International Financial Institutions:

The government will take steps for leveraging finances for the development of critical minerals. The government will also enable participation in international development programmes of institutions such as the World Bank, Asian Development Bank, and the International Monetary Fund etc. through initiatives like the Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement (RiSE) initiative and Advanced Sustainable Clean Energy Network for Development (ASCEND) amongst others. There will also be an emphasis on securing loans from multilateral financial institutions for the development of the sector.

4.8.3 Financial Outlay for the National Critical Mineral Mission:

The Mission includes budgetary provisions for (i) Securing Domestic and Foreign Sourcing of Critical Minerals and (ii) Strengthening Critical Minerals Value Chains, with budgetary allocation for all the activities that are to be undertaken as part of the Mission. The administrative expenditure on the Mission will be borne by the budget of the Ministry. The amounts indicated in the Table-1 are for Mission activities.

Table 1: Proposed Expenditure on the Mission

Mission Objectives	Finance Heads	Source of Allocation	Total Allocation (INR crore) (FY 2024-25 to 2030-31)
Securing Domestic and Foreign Sourcing	Domestic Critical Mineral Exploration	NMET	3000
		GSI	4000
	Risk Coverage for foreign sourcing	NMET	4000
	Support for exploration activities outside India	NMET	1600
	Recycling	Incentive scheme for Mineral Recycling	Budget
		Pilot Projects- Mineral Recovery	NMET
Strengthening Value Chains	R&D and Human Resource Development		ANRF & other R & D schemes 500
	International R&D Support		ANRF & other R & D schemes 500
	Skill Development Centres		Budget 100
	Critical Minerals Processing Parks		Budget 500
	Stockpiling of Critical Minerals		Budget 500
Grand Total			16300

Expected Investments by [@]PSUs, etc.	18000
[@] PSUs- <i>Khaniж Bidesh India Limited (KAMIL), Coal India Ltd. (CIL), National Mineral Development Corporation (NMDC), NTPC Mining Ltd, Neyveli Lignite Corporation India Ltd (NLCIL), Steel Authority of India (SAIL), Indian Rare Earth Ltd (IREL), Oil India Ltd, ONGC Videsh Ltd (OVL). Other PSUs will also be encouraged to invest abroad in critical minerals.</i>	

4.8.4 Dovetailing with Existing Schemes: The financing mechanism proposed for Mission activities is based on a “whole of Government & Industries” approach. Certain activities are funded by the Government and many activities are taken up as commercial and business decisions by public and private sector companies. While formulating specific schemes and guidelines for financing the Government activities, it will be ensured that any existing scheme similar to the activities proposed is dovetailed into the Mission activities.

5. Mission Output and Outcome

The National Critical Mineral Mission will have yearly output targets for key budget heads mentioned in the section above. The details of the outputs and potential outcomes are mentioned below. The outputs can be tracked on yearly basis and will help us achieve our stated outcomes in the Mission.

5.1 Mission Output: Year wise anticipated output of the Mission is furnished in the table below:

Table-2: Mission Output

Mission Objectives	Key heads		Total (FY 2024-25 to 2030-31)
Securing Domestic and Foreign Sourcing	Domestic Critical Mineral Exploration Projects		1200
	Foreign Critical Mineral Mines	PSUs	26
		Private Entities	24

	Incentive scheme for recycling - total materials recycled (kt)	400
Strengthening Value Chains	Patents in critical mineral value chain	1000
	Skill development	10000
	Mineral Processing Parks	4
	Centre of Excellence	3
	Mineral Stockpile (cumulative)	5

After the preparation of detailed guidelines, wherever required, the targets will be adjusted.

5.2 Mission Outcome

- **Expansion of Domestic Mineral Production:** The Mission will aim to complete **1,200 critical mineral exploration projects** and auction 100 **critical mineral blocks by FY 2030-2031**. The aim is to ensure domestic production of at least **15 critical and strategic minerals** (such as graphite, lithium, potash, rare earth elements), thereby reducing import dependency and securing supply chains for critical industries.
- **Enhancing Self-Reliance in Critical Minerals:** We expect that the domestic critical mineral production will be able to meet up to **10% of the national annual demand for critical minerals by 2031**, contributing significantly to India's strategic objective of self-sufficiency.
- **Acquisition of Overseas Mineral Assets:** Indian companies will secure **at least 50 overseas mining assets** including key battery minerals including lithium, nickel, copper, cobalt, and graphite. These acquisitions will ensure a stable supply and are expected to **meet 5% of annual critical mineral demand** by 2031.
- **Fostering a Circular Economy through Recycling:** The Mission aims to **recycle at least 10% of the nation's annual consumption of critical minerals**, reinforcing a circular economy model and reducing the dependency on primary raw materials.
- **Advancing Innovation through Research and Development (R&D):** The Mission will support **100 domestic R&D projects** and numerous international collaborative initiatives, with the objective of advancing extraction, processing, and recycling technologies. This will include achieving self-sufficiency in the **processing of at least 5 critical minerals and generating 1,000 patents across the critical minerals value chain by 2031**.
- **Skilled Workforce Development:** The Mission will **create 10,000 skilled professionals**, specializing in the critical minerals sector—ranging from mining and processing to recycling—thereby equipping India's industries with the necessary human capital to drive growth and innovation.
- **Establishment of Centers of Excellence (CoE):** The Mission will work towards setting up of 3 Centers of Excellence (CoE) by 2031, to foster Research and Development (R&D) and Innovation through projects and pilots across the critical minerals value chain.
- **Creation of Regional Processing Hubs:** Establishment of **four regional mineral processing parks** across the country, aimed at strengthening domestic refining and processing capacities, reducing reliance on international processing centers, and fostering a vertically integrated supply chain.
- **Streamlined Regulatory Framework:** Implementation of expedited regulatory approvals for critical mineral projects, facilitating faster transitions from exploration to production and ensuring timely access to essential resources for strategic sectors.
- **Strengthening Global Partnerships and Cooperation:** The Mission will foster bilateral and multilateral partnerships with resource-endowed nations through strategic trade agreements and international collaboration, ensuring secure access to critical minerals and facilitating the exchange of advanced technologies in mineral processing and recycling.
- **Establishment of a National Stockpile:** Creation of a **National Critical Minerals Stockpile comprising at least 5 critical minerals**, designed to mitigate risks from global supply chain disruptions and ensure that essential minerals are available to meet domestic needs during emergencies.
- **Robust Governance and Oversight:** The formation of an Empowered Committee on Critical Minerals, supported by a dedicated Mission Secretariat, will provide strong governance and ensure the effective coordination of initiatives, enabling timely implementation and regular monitoring of the Mission's progress.

6. Governance Framework

6.1 Empowered Committee on Critical Minerals: The Ministry of Mines will be the administrative Ministry of the National Critical Mineral Mission. The Mission's activities will be coordinated by an Empowered Committee, chaired by the Cabinet Secretary and including members from relevant stakeholder ministries. The empowered committee shall-

- i) Monitor and review the activities of the Mission;
- ii) Give broad directions for investment in foreign countries and minerals;
- iii) Approve guidelines of sub-components; and
- iv) Approve changes in the Mission components as may be necessary to achieve the Mission objectives.

The Empowered Committee shall consist of the following members-

- i) Cabinet Secretary-Chairperson
- ii) CEO, NITI Aayog-Member
- iii) Secretary, Department of Expenditure-Member
- iv) Secretary, Department of Atomic Energy-Member
- v) Secretary, Ministry of Coal-Member
- vi) Secretary, Department of Commerce-Member
- vii) Secretary, Ministry of Heavy Industries-Member
- viii) Secretary, Department of Ministry of External Affairs-Member
- ix) Secretary, Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)-Member
- x) Deputy National Security Advisor (NSA)-Member
- xi) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research (DSIR)-Member
- xii) Secretary, Department of Science and Technology-Member
- xiii) Secretary, Petroleum and Natural Gas-Member
- xiv) Secretary, Ministry of Power-Member
- xv) Secretary, Department of Public Enterprises-Member
- xvi) Secretary, Ministry of Steel-Member
- xvii) Secretary, Ministry of Mines-**Convener**/Member Secretary
- xviii) Five Technical Experts to be nominated by the Chairperson.

6.2 Establishment of a Mission Secretariat: The Mission Secretariat will comprise a dedicated team led by the Joint Secretary, who will serve as the Mission Head. The Mission will also have a director, geologists, mineral economists, and professionals from the mining industry, mineral processing industry and finance. Secretariat will also have Under Secretary a Section Officer and support staff. Moreover, the Secretariat may include any other professionals as required to fulfil the Mission's objective.

The following permanent posts will support the Mission-

- 1) One- Joint Secretary -Mission Head
- 2) One-Director
- 3) Two-STS Officers (Geology) from GSI*
- 4) One JTS Officers (Mineral Economics) from IBM*
- 5) One JTS Officer (Finance or Business Administration)
- 6) One-Under Secretary
- 7) One-Section Officer
- 8) Two- ASO

9) Two-MTS

*The officers at S.No. 3 and S.No.4 will be attached or called on deputation from Geological Survey of India (GSI) and Indian Bureau of Mines (IBM).

Appendix

Critical and Strategic Minerals specified in Part D of First Schedule of the MMDR Act [24 minerals]
1. Beryl and other beryllium bearing minerals.
2. Cadmium bearing minerals.
3. Cobalt bearing minerals.
4. Gallium bearing minerals.
5. Glauconite.
6. Graphite.
7. Indium bearing minerals.
8. Lithium bearing minerals.
9. Molybdenum bearing minerals.
10. Nickel bearing minerals.
11. Niobium bearing minerals.
12. Phosphate (without uranium).
13. Platinum group of elements bearing minerals.
14. Potash.
15. Minerals of the "rare earths" group not containing Uranium and Thorium.
16. Rhenium bearing minerals.
17. Selenium bearing minerals.
18. Tantalum bearing minerals.
19. Tellurium bearing minerals.
20. Tin bearing minerals.
21. Titanium bearing minerals and ores (ilmenite, rutile and leucoxene).
22. Tungsten bearing minerals.
23. Vanadium bearing minerals.
24. Zirconium-bearing minerals and ores including zircon.

[F No. 28/15/2024-CMM-Part (1)]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.